# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 72/2016 RCMS No.—2016/00261

1. बदरी पुत्र रामचन्द्र (फौत),
1/1. छाजूराम शर्मा पुत्र बदरी,
1/2. श्रीमति नाथी देवी पुत्री बदरी पत्नी लक्ष्मण
जाति हरियाणा, ब्राहम्ण, निवासी थोलाई तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
1/3. मंजू देवी पुत्री बदरी पत्नी रामप्रकाश निवासी खानिया, तहसील व जिला जयपुर।
2. गुमानीराम, पुत्रान रामचन्द्र, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ड्योडा चोड, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड डयोडा चौड, मुख्यालय जयपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रामरतनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तकरण संख्या 434 दिनांक 17/01/2013 आराजी खसरा नंबर 83/1 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम डयोडा चोड, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—

निर्णय दिनांकः 16.01.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2013 जिससे नामान्तरकरण संख्या 434 आराजी खसरा नं. 83/1 रकबा 2 बीघा ग्राम डयोडा चौड तहसील बस्सी स्थित भूमि का नामान्तकरण सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार के पक्ष में खोला जाकर प्रस्तुत होने पर स्वीकार किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.10.2013 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित आये तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपीलांट्स के नाम दर्ज चली आ रही थी। कानोता बांध के पाल व डूब क्षेत्र के लिए आस–पास के गांवो से भूमि अवाप्त की जानी थी जिसके लिए ग्राम डयोडा चौड, तहसील बस्सी की भूमि अवाप्त की गई। अपीलांट्स को उनकी ग्राम डयोडा चौड, तहसील बस्सी स्थित खसरा नंबर 83/1 रकबा 2 बीघा भूमि अर्जन के नोटिस दिए गए। इसी क्रम में उपशासन सचिव एवं प्रावैधिक सहा. मुख्य अभियन सिंचाई विभाग राज. जयपुर द्वारा अपनी विज्ञप्ति क्र. 17 एल.ए. 88 द्वारा एक और विज्ञप्ति जारी की गई कि कानोता बांध सिंचाई परियोजना की डूब में आई 75 प्रतिशत भराव क्षमता से डूब में आई भूमि को ही अवाप्त किए जाने एवं शेष भूमि को अवाप्ति से मुक्त रखने अवाप्ति अधि. 1894 (संशोधित 1984) की धारा 48 के अर्न्तगत अपीलांट्स की अपीलाधीन भूमि अवाप्ति से मुक्त रखी गई। इस प्रकार अपीलांट्स को वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया गया। सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता जल संसाधन के पत्रांक 30 दिनांक 15.01.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को इस आशय का पत्र भिजवाया गया कि कानोता बांध के डूब क्षेत्र में व पाल में आई भूमि का अवार्ड 1999 घोषित किया गया था, का नामान्तकरण विभाग के नाम खोलने के आदेश फरमाए। जिसके क्रम में तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस दिए सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया, जबकि अपीलांट्स की भूमि अवाप्ति से मुक्त की जा चुकी थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2013 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण 434 निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से कानोता बांध के लिए अवाप्त की गई भूमि एवं अवाप्त से मुक्त रखी गयी भूमियों के सम्बन्ध में पूर्ण जांच की जानी चाहिये थी। मजमेआम में यदि इस प्रकार की जांच की जाती तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति आ सकती थी, किन्तु अपीलाधीन आदेश जो नामान्तरकरण पर पारित किया है से जाहिर है कि नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व न तो कोई नोटिस जारी किये है और न ही सुनवाई का अवसर किसी को दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि तहसीलदार बस्सी द्वारा नामान्तकरण प्रारम्भिक विज्ञप्ति के अनुसार खोला गया है। अपीलांट्स की भूमि अवाप्ति से मुक्त रखी गयी है जिससे अपीलांट्स को अवाप्त भूमि का मुआवजा भी नहीं दिया गया है। अपीलांट्स की भूमि को प्रारम्भिक अवार्ड में दर्ज होने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण खोला गया है एवं 25 प्रतिशत भूमि को आवाप्ति से मुक्त रखा गया है जिसमें अपीलाट्स की भूमि भी है। रेस्पा0 संख्या 2 को उक्त नामान्तकरण 434 आदेश दिनांक 17.01.2013 अपीलांट की भूमि की हद तक निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय पत्रावली पर उपलब्ध जिला रिकॉर्ड रूम से प्राप्त मूल नामान्तरकरण की प्रमाणित छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम डयोडा चौड के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण मुताबिक पत्रांक सहायक अभियन्ता जल संसाधन कानोता के पत्रांक 30 दिनांक 15.01.13क के कम में उपखण्ड अधिकारी बस्सी व तहसीलदार बस्सी के आदेश दिनांक 16.01.2013 के आधार पर तहसीलदार, बस्सी द्वारा दिनांक 17.01.2013 को स्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की मुख्य दलील है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही हुआ है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है एवं अपीलाधीन भूमि अवाप्ति से शेष रहने के बावजूद अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार के नाम तस्दीक किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स की ग्राम डयोडा चौड तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नंबर 83/1 रकबा 2 बीघा अवाप्ति से मुक्त होने के बाद भी अपीलाधीन भूमि का नामान्तकरण सिंचाई विभाग राज. सरकार के नाम तस्दीक किया गया, जो न्यायोचित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलांट की भूमि की हद तक निरस्त किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, बस्सी का आदेश दिनांक 17.01.2013 बाबत नामान्तरकरण संख्या 434 ग्राम डयोडा चौड, तहसील बस्सी अपीलांट की भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, बस्सी को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात एवं अवाप्ति से शेष रही भूमि के आधार पर बाद जांच कानूनी प्रावधान तथा प्रकिया अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बस्सी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

( पुखराज सेन )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर